Order & Dekree

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी – जे. एस. संधु, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 70 / 15

1 जटाशंकर आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति मेहर, निवासी ग्राम गोदल्याहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा — वादी

बनाम

1 मोतीलाल आत्मज राधा किशन, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोदल्याहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा — प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 20.02 .2018

निर्णय

वादी की ओर से एक संशोधित वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि:– ग्राम मोरपा त0 लाडपुरा जिला–कोटा में प्रतिवादी क्रम–1 के खातें में खसरा नं0 350 की 0.09 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 पेश है। उपरोक्त भूमि का पुराना खसरा नं0 172 था, जो पूर्व में प्रतिवादी नं0 1 व उसके भ्राता चुन्नीलाल के नाम दर्ज थी, जिसके बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नं0 350 दर्ज किया गया। प्रतिवादी नं0 1 के उसके भ्राता चुन्नीलाल ने उक्त भूमि को वादी व उसकी माता नाथी बाई को आज से 50 वर्ष पूर्व बेचान कर दी व प्रतिफल प्राप्त कर कब्जा वादी व उसकी माता को दे दिया, तब से ही वादी व उसकी माता उक्त भूमि पर काबिज काश्त निरन्तर अबोध रूप से चले आ रहें थे। वादी की माता के जीवित रहते एवं मृत्यु के पश्चात् वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है व सिचाई कर व कड़ता लगान भी वादी ही जमा करता आ रहा है। उपरोक्त भूमि पर 50 वर्ष से प्रतिवादी नं0 1 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है और ना ही आज कब्जा काश्त है।

उपरोक्त भूमि पर वादी का वर्ष 1965 से प्रतिवादी नं0 1 की जानकारी मं कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस कारण राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 के अधिकार उपरोक्त भूमि पर कब्जे के आधार पर भी एडवर्स पजेशन प्राप्त हो चुका है और उसके आधार पर वादी उपरोक्त भूमि का खातेदार टेनेन्ट हो गया है तथा खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 के मन में बद्नियती आ गई है और प्रतिवादी नं0 1 उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने तथा उक्त भूमि को रहन व बेचान व खुर्द बुर्द

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर, कोटा

व अन्तरण करने पर आमादा है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी नं0 1 वादी के पास दिनांक 22–07–2015 को आया और वादी को उक्त भूमि से जबरन अवैधानिक रूप से बेदखल करने व वादी के शांतिपूर्वक कब्जेकाश्त में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करते हुए उपरोक्त भूमि को रहन, बेचान करने की धमकी दी, जिसका कि प्रतिवादी नं0 1 को उक्त भूमि से वादी को बेदखल करने व उक्त भूमि को रहन व बेचान करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा, खातेदारी तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है। वाद कारण दिनांक 22.07.2017 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादी नं. 1 ने उपरोक्त भूमि पर आकर कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने तथा उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान करने की धमकी दी।

अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि ग्राम मोरपा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की खसरा नम्बर 350 की 0.09 हैक्टर भूमि पर वादी का कब्जा प्रतिवादी की जानकारी में चले आने से व मुखालफाना के आधार पर तथा वादी को एडवर्स पजेशन प्राप्त हो जाने के आधार पर व बेचान के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते से हटाई जाकर वादी के खाते दर्ज किये जावे। इसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। साथ ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये –

1. ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नं. 350 रकबा 0.09 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2066–2069
2. ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नं. 1 रकबा 0.09 हैक्टर की नकल जमाबन्दी संवत 2038–2057
3. ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के वर्तमान खसरा नं. 350 रकबा 0.09 हैक्टर का मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–2057

न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की नियमानुसार जर्ये तहसीलदार तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये। जिनकी स्वयं प्रतिवादी क्रम 1 से तलवी उपरान्त उनकी ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जिसके उपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से अभिभाषक श्री ध्रुव वैष्णव द्वारा आदेशिका पर Undertaking दी गई, इसके उपरान्त की आगामी पेशी तिथियों पर प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश यथावत रखा गया।

प्रकरण में वादी की ओर से पेश किये गये मूल वाद में, दौराने कार्यवाही, पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के स्वीकार होने पर वादी की ओर से उक्त संशोधित वाद पेश किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में स्वयं जटाशंकर आत्मज लक्ष्मीनारायण, हुकमचन्द आत्मज गोबरी लाल, बंशीलाल आत्मज केसरीलाल, दिनेश नायक आत्मज नारायण नायक के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये गये। तदुपरान्त, प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाये जाने के फलस्वरूप वादी एवं प्रतिवादी की जिरह निल की गई एवं वादी वकील की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी वकील द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर, कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

हमने वादी वकील की बहस के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो पाता कि वादी की माता द्वारा विवादित आराजी का क्रय किया गया है। दौराने बहस प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा वादी एवं उसकी मात को विवादित आराजी का बेचान किये जाने की रिकार्डिंग मोबाईल पर सुनाने का भी निवेदन किया गया जो कि राजस्व प्रकरण के साक्ष्य में ग्राहय नहीं होने तथा मोबाईल रिकार्डिंग की सत्यता विश्वसनीय नहीं होने के कारण नहीं सुनी गई। वादी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य के शपथ पत्रों में से गवाह बंशीलाल आत्मज केसरीलाल और दिनेश नायक आत्मज नारायण नायक द्वारा 50 वर्ष पूर्व वादी की माता को बेचान किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि उक्त गवाहान की स्वयं की आयु 50 वर्ष से भी कम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि साक्ष्य के अभाव में वादी, विवादित आराजी को क्रय किया जाना सिद्ध करने में असफल रहा है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर वादी विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत के काबिज काश्त है तथा 50 वष्र की लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित गत निर्णयों का भी दृष्टान्त लिया जाना समीचीन होगा –

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नहीं लाया जा सकता है। (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसरण में वादी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा साक्ष्य के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20 फरवरी, 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

सहायक कलक्टर, कोटा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी– जे. एस. संधु, I.A.S. (P)

बउनवान :–

1 जटाशंकर आत्मज लक्ष्मीनारायण, जाति मेहर, निवासी ग्राम गोदल्याहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

वादी

बनाम

1 मोतीलाल आत्मज राधा किशन, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोदल्याहेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88, 89, 188, 92A RTA
मुकदमा नम्बर : 70 / 15
निर्णय दिनांक : 20-02-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की ओर से वादी अभिभाषक श्री केसरीलाल बैरवा की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 07–02–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री जे. एस. संधु, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी को मात्र लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः कृषि आराजी पर लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबन्धित होने तथा साक्ष्य के अभाव में वाद वादी स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 20.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

(जे. एस. संधु)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
		रूपया			रूपया
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प		1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

सहायक कलक्टर, कोटा